राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली,11 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग विभागीय कैंटीन (कैंटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), विभागीय कैंटीन में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (कैंटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रबंधक श्रेणी II	01 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 6 (पद के पदधारियों को ऐसी दरों पर जो समय-समय पर सरकार निर्णय करें, विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** – आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख

					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री; और ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त/ कानूनी संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **केन्द्रीय सरकार** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और आमेलन): केन्द्रीय सरकार के अधिकारीः- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ऐसा विभागीय सहायक प्रबंधक-सह-भंडाररक्षक के जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों यदि

विभागीय अभ्यर्थी जिसके पद की नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2:- (**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति और प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक प्रबंधक – सह - भंडार रक्षक	*01 (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.) **टिप्पण-** पद के पदधारियों को ऐसी दरों पर जो समय-समय पर सरकार निर्णय करें, विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता – (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री के साथ बुक कीपिंग या स्टोर कीपिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा (ग) अनुभवः- किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **केन्द्रीय सरकार** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके	नहीं	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)

प्रोन्नतिः- (i) वेतन मैट्रिक्स (21700-69100रु.) के स्तर 3 में ऐसे हलवाई-सह-रसोईया में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ भंडारों या लेखाओं को संभालने का दो वर्ष अनुभव और लिपिक सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हता अर्थात् वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा में शैक्षणिक अर्हता रखता हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में ऐसे लिपिकों ने आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः-

केन्द्रीय सरकार के अधिकारीः

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो;

(iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हो; और

(iv) सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा संभालने का तीन वर्ष अनुभव।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति दवारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए पांच के दबाव के औसत पर 10500 के दबाव प्रति घंटा/9000 के दबाव प्रतिघंटा अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **केन्द्रीय सरकार** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नतिः- (i) ऐसा कैंटीन परिचर जिसने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) वेतन के स्तर 1 में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो; और (ii) सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखन व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहीं उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. हलवाई-सह-रसोइया	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग',) अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः-** रोजगार कार्यालय के

					माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अंतिम तारीख तक होगी जिसे आवेदनों को मांगा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) खान-पान में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) सरकारी विभाग उपक्रम में पाक कला का दो वर्ष (ग) पाक कला में व्यवसाय निपुणता परीक्षा उत्तीर्ण की हो **टिप्पण 1:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **केन्द्रीय सरकार** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) में स्तर 2 में ऐसा सहायक – हलवाई – सह रसोईया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणः** प्रतिनियुक्तिः- केन्द्रीय सरकार के अधिकारीः (क) (i) जो सदृश पद धारण कर रहे हों; (ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में ऐसा सहायक हलवाई-सह रसोइया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: (क) खान-पान में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) सरकारी विभाग/उपक्रम में अधिमानतः पाक कला का दो वर्ष **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति दवारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.सहायक हलवाई – सह - रसोइया	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/ समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अंतिम तारीख तक होगी जिसे आवेदनों को मांगा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) खान-पान में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) सरकारी संगठन में पकाने का एक वर्ष का अनुभव; और (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा स्वच्छता, रखरखाव इत्यादि सहित खाना पकाने के संबंध में व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। **टिप्पण :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए **केन्द्रीय सरकार** के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) के स्तर 1 में ऐसा कैंटीन परिचर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। स्वच्छता के रखरखाव आदि सहित पकाने के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यवसाय परीक्षण संचालित किया जाएगा। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा

हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः-** केन्द्रीय सरकार के अधिकारीः (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) में स्तर-1 में कैंटीन परिचर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें हलवाई-सह रसोइया के हेल्पर के रूप में तीन वर्ष अनुभव रखता हो; और (iii) खान-पान में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा रखता हो (**टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति दवारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कैंटीन परिचर	08 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणः-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस पर आवेदनों को मांगा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः-** 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/03/2016-प्रशा.III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 11th October, 2019

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Departmental Canteen, Planning Commission (Canteen Staff) Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various posts in Departmental Canteen, National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Canteen Staff) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the posts, their classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Manager Grade-II	1*(2019) *Subject to	General Central Service, Group B,	Level-6. (The incumbents of the post shall	Not Applicable	Not exceeding 30 years. **Note-1:** (Relaxable for

	variation dependent on work load.	non-Gazetted, non-Ministerial.	be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.)		Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note-2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public Administration from a recognised University or Institute; and (ii) two years experience in Accounts work in the Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous/ Statutory Organization. **Note 1:** Qualification are relexable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government,	Not Applicable	Two years for direct recruits	By Composite Method (Deputation plus Promotion) failing which by direct recruitment

for reasons to be recorded in writing, in case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite Method (Deputation plus Promotion): Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years service in Level-5 in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the parent cadre/department; or (iii) with ten years service in the Level-4 in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The departmental Assistant Manager-cum-Storekeeper in Level-4 in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	**Group 'B' Departmental Confirmation and Promotion Committee consisting of:-** 1.Director/Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2.Under Secretary (Administration) - Member 3. Section Officer (Administration) - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.) **Note 3:** The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Manager-cum-Storekeeper	1*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100). **Note:** - The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.	Non-selection	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification:- (a) B.Com from a recognised university; or (b) Bachelor Degree in any discipline from recognised university with one year Diploma in Book keeping/ Store Keeping; and (c) **EXPERIENCE:-** Three years working experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. **Note 1:** The Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government, is of the opinion that sufficient number of candidates	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Deputation and failing both by direct recruitment.

belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the Level-3 in pay matrix (Rs. 21700-69100) - with two years' experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification i.e. 12th Class with Commerce as prescribed for direct recruited Clerk. (ii) Clerks with eight years regular service in the level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200). **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government : (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200); (iii) possessing educational qualification as prescribed for direct recruitment under column (7); and (iv) three years' experience in handling Stores or Accounts in a government department or undertaking. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultations with Union Public Service Commission not necessary

Note 3: The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200).	Non-selection.	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce; and (b A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m.and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour / 9000 key Depression Per Hour on an average of 5 Key Depressions for each word). **Note 1:** The Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for Direct Recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Canteen Attendant with at least three years regular service in the level-1 in pay matrix (Rs. 18,000-56,900); and (ii) Two week training on Organizational Behavior, Communication Skill and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or any other recognised Institutes by Government of India or State Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of:** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultation with UPSC not necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Halwai-cum-Cook	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700-69,100)	Non-selection	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/ News paper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th Class Pass with Certificate/Diploma in catering; (b) two years cooking experience in a Government Department or Undertaking; and (c) to pass a trade Skill Test in Cooking. **Note:** The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years	Promotion failing which by Deputation and failing both by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion : Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level-2 in pay matrix (Rs. 19,900-63,200). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the Level-2 in pay matrix (Rs. 19,900-63,200); and (b) possessing the qualifications and experience : (A) 10th Class Pass with a certificate/ diploma in catering; and (B) two years cooking experience in a Government Department/ Undertaking preferred. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2:** The Departmental official in	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultations with the Union Public Service Commission not necessary.

the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Halwai-cum-Cook	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200)	Non-selection	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering. (b) One year cooking experience in the Government Organisations; and (c) to pass the Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. **Note:** The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Canteen Attendant in the Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service. A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the	**Group 'C' Departmental Promotion Committee; consisting of :** 1. Director/ Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

cooking including maintenance of hygiene etc. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation :** Officers of the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Canteen Attendant in the Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and (iii) possessing certificate/ diploma in catering. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2:** The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Canteen Attendant	8*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18,000-56,900).	Not Applicable	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 for Government Servant) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note:** The crucial date for

					determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from recognised Board.	Not Applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation); consisting of:** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultations with Union Public Service Commission not necessary

[F.No. A-12018/03/2016-Adm.III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.325.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

					determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from recognised Board.	Not Applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation); consisting of:** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultations with Union Public Service Commission not necessary

[F.No. A-12018/03/2016-Adm.III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.325.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	01 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35,400-1,12,400 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में के ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सदस्य 3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29,200-92,300 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सदस्य 3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	03 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नतिः वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) में के ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः— 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सदस्य 3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	04 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण – आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः **i.** उसके पास मोटर कार चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो। **ii.** मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों में गौण त्रुटियां दूर करने की योग्यता होनी चाहिए।) **iii.** कम से कम 3 वर्ष मोटर कार चलाने का अनुभव हो। **iv.** 10वीं कक्षा उत्तीर्ण **वांछनीयः** होमगार्ड संरक्षक/सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा। **टिप्पण 1 –** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती या पुनः नियोजन किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलनः नीति आयोग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में के ऐसे सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारी में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए जिनके पास मोटर कार चलाने के परीक्षण के आधार पर मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो; जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाला पदधारी या वेतन मेट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900रु.) में समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। **भूतपूर्व सैनिक** **प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें

पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्टाफ कार सेल) - सदस्य 3. एक समूह 'क' अधिकारी, नीति आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा.III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 15th October, 2019

G.S.R. 325.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—** The number of the said posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Non-selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-I in Level-5 in Pay Matrix (Rs. 29200-92300/-) with three years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:-** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member; 3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade-I)	2* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300/-)	Non-selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade-II in Level-4 in Pay Matrix (Rs. 25500-81100/-) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member; 3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Grade-II)	3* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-)	Non-selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 in Pay Matrix (Rs. 19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member; 3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable	18-25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). * If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination', the age limit would be 18-27 years.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. **Desirable:** Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2:** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in Pay Matrix in the NITI Aayog who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in Pay Matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be	**Group 'C' Departmental Conformation Committee (for considering confirmation):** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (Staff Car Cell) – Member; 3. A Group 'A' Officer, NITI Aayog – Member.	Not applicable.

'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. A-12018/02/2016-Adm.III]
ASHOK KUMAR, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि.326.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय उप निदेशक (हस्तशिल्प), वरिष्ठ सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) तथा सहायक निदेशक (हस्तशिल्प) (समूह 'क' एवं समूह 'ख' राजपत्रित पदों) के भर्ती नियम, 2017, के अधिक्रमण में, जहां तक वे उप निदेशक (हस्तशिल्प) के पद से संबंधित ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा छोड़ी गई मदों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतदद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में उप निदेशक (हस्तशिल्प) के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, नामश:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—** (1) ये नियम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, उप निदेशक (हस्तशिल्प) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2019 कहे जाएंगे;

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल.—**उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

3. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

4. **अनर्हता.—**कोई भी ऐसा व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए उसने किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह अथवा अनुबंधित विवाह किया हो]

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो कि, ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय कानून के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस नियम के अंतर्गत कार्रवाई से किसी भी व्यक्ति को छूट मिल सकती है।

5. **शिथिलीकरण का अधिकार.—**जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श में इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 258.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी का असचिवीय पद) भर्ती नियम, 2002, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 में के ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री रखते हों और पुस्तकालय या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 हफ्ते का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणः** जहां से कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), नीति आयोग - अध्यक्ष 2. मुख्य पुस्तकालय-सह-प्रलेखीकरण अधिकारी या पुस्तकालय का प्रधान,नीति आयोग – सदस्य 3. उप सचिव या उप सलाहकार, नीति आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/03/2016-प्रशा.IV]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 13th August, 2019

G.S.R. 258.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Non-Secretariat post of Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2002,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Assistant Library and Information Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Library and Information Officer	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	GCS, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7	Selection

Age limits for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	(11)	(12)	(13)
By Promotion	**Promotion**: Library and Information Assistant in level-6 in pay matrix with five years' regular service in the grade possessing Bachelors' Degree in Library Science or Library and	**Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Deputy Secretary or Director (Administration), NITI Aayog – Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	Information Science from a recognised University or Institute and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Chief Librarian-cum-Documentation Officer or Head of Library, NITI Aayog – Member; 3. Deputy Secretary or Deputy Adviser, NITI Aayog – Member.	

[F. No. A-12018/03/2016-Adm.IV]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग नयाचार सहायक भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में नयाचार सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (नयाचार सहायक) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 5—मई 11, 2019, शनिवार/वैशाख 15—वैशाख 21, 1941
No. 19] NEW DELHI, MAY 5—MAY 11, 2019, SATURDAY/VAISAKHA 15 — VAISAKHA—21, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नीति आयोग

नई दिल्ली, 2 मई, 2019

सा.का.नि.114.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2000, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीति आयोग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	4* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 6	चयन	30 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण 1**: (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 2**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः 1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; और 2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। **वाँछनीयः** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु- नहीं शैक्षिक अर्हता- [स्तंभ (11) में उपदर्शित उसके विस्तार तक]	दो वर्ष	(i) 25% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा; और (ii) 75% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नतिः (i) वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 में के ऐसे पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की है; (ii) पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक हो; और (iii) उच्चतर पद के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित विषय या कार्यक्षेत्र में 2 से 4 हफ्तों का आंतरिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणः** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा

हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले से ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारीः-

(क) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ख) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ग) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. निदेशक /उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखीकरण अधिकारी, नीति आयोग – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. निदेशक /उप सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-सह-प्रलेखीकरण अधिकारी, नीति आयोग – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/01/2013-प्रशा.IV**]**

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 2nd May, 2019

G.S.R. 114 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission, Senior Library and Information Assistant, Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant, in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Library and Information Assistant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—** The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. .—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	4* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	GCS, Group B, Non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6	Selection	Not exceeding 30 years. **Note 1**: (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) **Note 2**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>**Essential**</u>: 1) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a Recognised University or Institute; and 2) two years' professional experience in a Library under the Central or State Governments or Autonomous or Statutory	Age : No Educational Qualification : [To the extent indicated in Column (11)].	Two years.	(i) Twenty five per cent - by Promotion, failing which by Deputation (Including Short Term Contract); and (ii) Seventy five per cent - by Direct recruitment .

Organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable**: Diploma in Computer Application from a Recognized University or Institute. **NOTE 1**:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **NOTE 2:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Library Clerk in Level-2 of the pay matrix with ten years of regular service in the grade; (ii) possessing Bachelor Degree in Library Science; or Library and Information Science; and (iii) having successfully completed two to four weeks' in-house training in the subject or area of work related to duties and responsibilities of the higher post. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term**	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2. Chief Librarian-cum-Documentation Officer, NITI Aayog - Member 3. Under Secretary (Administration) – Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director/Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2. Chief Librarian-cum-Documentation Officer, NITI Aayog - Member 3. Under Secretary (Administration) – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution:- a) i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or ii) with six years of regular service in level-5 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) possessing the educational qualification and experience as prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** (The period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications).		

[F. No. A-12018/01/2013-Adm.IV]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 मई, 2019

सा.का.नि.115.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 464.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग, (पुस्तकालय लिपिक) भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात् :**--**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, पुस्तकालय लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग**,** भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय लिपिक	2* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (19900-63200)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
25 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1 :** केद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:-** 1. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता - हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर**,** प्रतिनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर**,** सीधी भर्ती द्वारा

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (18000-56900) सूतर-1 में के ऐसे विभागीय ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा प्रदान की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-- (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900) स्तर-1 पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ **7** के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति [प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति और पुष्टि (सीधी भर्ती की दशा में) के संबंध में विचार करने के लिए] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. अवर सचिव, (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. पुस्तकालय का भारसाधक - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/06/2016-प्रशा. IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2017

G.S.R. 464.– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Library Clerk) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the National Institution for Transforming India, namely:-

1. Short title and commencement. —

(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India, Library Clerk, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the Pay matrix.—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Clerk	2* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200)	Selection

Age-limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 25 years. **Note 1:** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District *and Pangi Sub-Division or* Chamba District or Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential:** 1. Matriculation or equivalent from a recognised institution; and, 2. Certificate in Library Science from a recognised institution.	Age - No Educational Qualification - Yes	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation grades from which promotion or deputation to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation failing which by direct recruitment	Promotion : From departmental Senior Library Attendants in the Level-1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-56900) who have rendered a minimum of five years' service in the grade on regular basis. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by

	more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officials under the Central Government- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in Level-1 in the Pay Matrix (Rs. 18000-92300) and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental candidates in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion/deputation and also confirmations (in the case of Direct Recruits): (1) Deputy Secretary (Admn.) – Chairman (2) Library In-charge – Member (3) Under Secretary (Admn.) – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/06/2016-Adm.IV]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 465.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी 1, श्रेणी 2 और साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment	**Promotion:** Lower Division Clerk or Storekeeper (Level-2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)) with eight years' service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) With eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. **Note 1:** The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.

If DPC exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Consisting of :— 1. Director or Deputy Secretary of the Division, D/AHD&F - Chairman 2. Under Secretary (Poultry) - Member 3. Joint Commissioner or Deputy Commissioner-in-charge of the Division concerned - Member	Not applicable.

[F. No. 12-4/2016-Admn.VI (P)]

DHARM PRAKASH, Under Secy.

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 463.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग, ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए,

जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था में ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति-—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर	2* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18-25 वर्ष के बीच	**आवश्यक:-** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीयों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**वांछनीय :** केंद्रीय सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, राज्य सरकार या स्वायत संगठन के किसी पुस्तकालय में दो वर्ष की नियमित सेवा ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखते हों ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--**	लागू नहीं होता।

	1. अवर सचिव, (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/07/2016-एडमिन IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA

New Delhi, the 15th September, 2017

G.S.R. 463.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Senior Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Library Attendant in the National Institution for Transforming India, namely:-

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India, Senior Library Attendant, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in the Pay matrix.—The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Library Attendant	2* (2017) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 years [relaxable for Government servants upto 40 years (upto 45 years in respect of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government]. **Note 1**: In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date of determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District *and Pangi Sub -Division or C*hamba District or Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential**: Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. **Desirable**: Two years' regular service in any Library of the Central Government, Public Sector Undertaking, State Government or Autonomous Organisation.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct Recruitment **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for the direct recruits under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- (1) Under Secretary (Admn.) - Chairman (2) Assistant Library Information Officer – Member (3) Section Officer (Admn.) - Member	Not applicable.

[F. No. A- 12018/07/2016-Adm. IV]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum: Pursuant to the directions of the Hon'ble Central Administrative Tribute, Principal Bench in O.A. No.2529/96 in the case of Central Government Staff Car Drivers and Bikram Singh Vs. Union of India the Department of Personnel and Training has issued an O.M. No.43019/54/96-Estt.(D) dated 15.02.2001 for modification of the existing grade structure for the Staff Car Drivers under the Central Government organizations as under which inter-alia includes introduction of a new grade namely "Special Grade" in the scale of pay of Rs.5000-8000/- (Revised pay PB-2, 9300-34800/- + Grade pay 4200/-) with retrospective effect from 08/11/1996.

S. No.	Grade	Pay scale (in Rs.)	Revised pay (in Rs.)	Percentage of posts in each grade
1.	Ordinary Grade	3050-4590	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 1900/-	30
2.	Grade-II	4000-6000	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 2400/-	30
3.	Grade-I	4500-7000	PB-1, 5200-20200/- + Grade Pay 2800/-	35
4.	Special Grade	5000-8000	PB-2, 9300-34800/- + Grade Pay 4200/-	05

Promotion of eligible candidates to "Special Grade", subject to availability of post, shall be made with retrospective effect to the w.e.f. 08/11/1996 and arrears in such cases shall be allowed with effect from 08/11/1996. Further in respect of Cadres where the strength of Staff Car Drivers is between 10 and 19 the Department of Personnel and Training has agreed as a special case to allow placement of one post of Staff Car Driver in the "Special Grade" as the percentage fraction of post computed @5% of the total strength comes to 0.5 and above which may be rounded off to one. But where the Cadre strength is less than 10, as a measure of further liberalization the combination of different Cadres Staff Car Drivers under the Central Government organization is permissible which the Ministry may operate on a nodal basis. In the Ministry of Information & Broadcasting 08 posts of Staff Car Driver exist. In the Publication Division, a media unit under the Ministry of Information & Broadcasting 04 posts of Staff Car Driver exist. It has been decided to combine the cadres of Staff Car Driver in the Ministry of Information & Broadcasting and the Publications Division w.e.f. 28/08/2002. Based on combined strength of 12 posts have been created in the 4 Grades as per structure and percentage mentioned above w.e.f. 28/08/2002. Accordingly in the combined cadre the promotion to newly created posts will be effective from 28/08/2002 or later. The retrospective effect to the Recruitment Rules is being given as a result of liberalization. It is certified that the retrospective effect given to enforcement of these Rules will not affect any Section of Class of Government Servants adversely.

Note: (i) The Ministry of Information & Broadcasting Staff Car Drivers (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) and Despatch Rider Recruitment Rules, 1995 were notified vide G.S.R. No.27 dated 20th December, 1995 and (ii) The Ministry of Information and Broadcasting Staff Car Drivers (Special Grade, Grade-I, Grade-II and Ordinary Grade) and Despatch Rider Recruitment Rules, 2004 were notified vide G.S.R. No. 63 date 6th February, 2004.

[No. A-12023/1/2013-Admn.II]

D. K. CHAWLA, Under Secy.

नीति आयोग

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 213.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीति आयोग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नयाचार अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधन संस्थाओं या विश्वविद्यालय या अर्ध सकरारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकरी :- (क)(i) जिन्होंने मूलकाडर/विभागों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या (ii) जिन्होंने मूलकाडर/विभागों में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव है :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्य विद्यालय से बैचलर डिग्री (ii) नयाचार का दो वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत लोक सम्पर्क कार्य, यदि कोई है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 30 सितम्बर, 2000 में अधिसूचना संख्या ए-12018/1/98.प्रशा.V(पीओ), तारीख 18 सितम्बर, 2000 द्वारा साकानि सं. 371 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं ए-12018/6/2009-प्रशा.-IV]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

NITI AAYOG

New Delhi, the 6th October, 2015

G.S.R. 213.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Protocol Officer Recruitment Rules,2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the NITI Aayog, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade.—The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale applicable thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification.	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Protocol Officer	1* (2015) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band -2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Deputation including Short Term Contract	**Deputation (including Short Term Contract) :** Officers under the Central Government or State	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission

			Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings re-recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade pay Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree from a Recognized University (ii) Two years's experience of protocol including public relations work, if any. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of		necessary for filling up of Post

			pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A-12018/6/2009-Adm. IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (सहायक) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा (मुख्यालय) के लिए विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में सहायक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय (मुख्यालय) सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा,जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2) They shall some into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(i) for rule 2 the following shall be substituted, namely:—

''2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.'';

(ii) In the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

''Level in Pay Matrix
(4)
Level 6
(Rs. 35400 – 1,12,400)'';

(b) in column (11) serial number (a)(ii), for the words and figures ''pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/-'', the words and figures ''Level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the pay matrix'' shall be substituted.

(c) in column (11) against serial number (a) (iii), for the words and figures ''pay band-1, Rs. 52-20200 with grade pay of Rs. 2400/-'', the words and figures ''level -4 (Rs. 25500 – 81 100) in pay matrix'' shall be substituted.

(d) in column (11) ''Note 3'' shall be omitted.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 39, dated the 01 March, 2016.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 में

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।" ;

(ख) अनुसूची में

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में सतर
(4)
स्तर-7
(₹44,900 – 1,42,400)”;

(ii) स्तंभ (11) में क्र. सं. क(ii) के सामने प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) शीर्षक के अधीन, “वेतन बैंड-2, 9,300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35,400 – 1,12,400)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।”

(iii) स्तंभ (ii) में, “टिप्पण” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/01/2016-प्रशा.IV]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 7 नवम्बर, 2015 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 213, तारीख 6 अक्तूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R. 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the follosing rules to amend the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the NITI Aayog (Protocol Officer), Recruitment Rules, 2015,-

(a) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

‘‘Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.’’.

(b) in the Schedule,—

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely;—

‘‘Level in Pay matrix
(4)
Level-7
(Rs. 44,900 – 1,42,400)’’

(ii) in column (11), under the heading Deputation (including Short Term Contract), against serial number (ii), for the words and figures ‘‘Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200/-’’ the words, figures and brackets ‘‘Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix” shall be substituted.

(iii) in column (11), the ‘‘Note’’ shall be omitted.

[F. No. A-12018/01/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote.—The principal rules were published vide notification number G.S.R. 213, dated the 6th October, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 7th November, 2015.

	Information Science from a recognised University or Institute and successfully completed training of two weeks in the field of Library and Library Science. **Note:**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Chief Librarian-cum-Documentation Officer or Head of Library, NITI Aayog – Member; 3. Deputy Secretary or Deputy Adviser, NITI Aayog – Member.	

[F. No. A-12018/03/2016-Adm.IV]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 259.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग नयाचार सहायक भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में नयाचार सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (नयाचार सहायक) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नयाचार सहायक	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के ऐसे अधिकारी जोः- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; और (ii) नयाचार कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/02/2016-प्रशा. IV]

अशोक कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2019

G.S.R. 259.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Protocol Assistant Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Assistant in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) (Protocol Assistant) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Protocol Assistant	1* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	GCS, Group ‘B’, non-Gazetted, non-Ministerial	Level-6	Not applicable

Age limits for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	(11)	(12)	(13)
By Deputation	**Deputation :** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the Level-5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Degree from a recognised university or institute; and (ii) two years' experience in Protocol work. **Note 1:** (Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years). **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with UPSC not necessary.

[F. No. A-12018/02/2016-Adm.IV]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 260.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटक संगठन (राजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 को जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मार्च 6—मार्च 12, 2016, शनिवार/फाल्गुन 16—फाल्गुन 22, 1937
No. 8] NEW DELHI, MARCH 6—MARCH 12, 2016, SATURDAY/PHALGUNA 16— PHALGUNA 22, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नीति आयोग

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग (सहायक कल्याण अधिकारी का अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2000, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था में सहायक कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कल्याण अधिकारी	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक सेवा उपक्रमों या अर्ध- सरकारी

	या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं,या; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, में 5200-20,200 रु. वेतनमान+ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20,200 रु. वेतनमान+ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; या (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री । (ii) कर्मचारीवृंद कल्याण क्रियाकलापों में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-**प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	पद के भरे जाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/5/2009-प्रशा.-IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA AAYOG

New Delhi, the 1st March, 2016

G.S.R. 39.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Non-Secretariat post of Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Welfare Officer in the National Institution for Transforming India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Welfare Officer	1* (2016) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-	Not applicable

Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation including short term contract	**Deputation including short term contract:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or public sector or semi-Government or autonomous or statutory organisations ,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department; (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised university. (ii) One year experience in staff welfare activities. **Note 1:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

	been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

[F. No. A-12018/5/2009-Adm.- IV]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एनसीएसटी) के लिए प्रारूप भर्ती नियमावली

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में उन पदों के लिए भर्ती नियमावली जो छठे वेतन आयोग से पूर्व समूह 'घ' वेतनमान में थे और जिन्हें समूह 'ग', पे बैंड 1 (5200-20200 रु.)+ 1800 ग्रेड पे में रखा गया है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	मल्टी – टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	1.12.2015 को यथा स्वीकृत-29
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयिक
4.	पे बैंडऔर ग्रेड पे	पे बैंड 1(5200-20200 रु.) + 1800 ग्रेड पे
5.	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद ?	लागू नहीं
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुमेय सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा स्वीकार्य है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष की आयु के बीच **टिप्पणी :** (1) आयु-सीमा को निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि, भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी सब डिवीजन के लिए विहित अंतिम तिथि नहीं जिसका अर्थ है कि इन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अन्य अंतिम तिथि हो सकती है)। (2) एम्प्लोएमेंट एक्सचेंज के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जो एम्प्लोएमेंट एक्सचेंज को नाम प्रस्तुत करने के लिए कही जाती है। (3) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए छूट सरकारी निर्देशों के अनुसार होगी।
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा) उत्तीर्ण जिसके साथ केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कार्यालयों और/या केन्द्रीय/ राज्य लोक क्षेत्र उपक्रमों में दो वर्षों का कार्य अनुभव। कम्प्यूटर प्रचालन कौशल, ड्राईविंग लाइलेंस,आईटीआई संबंधी कौशल आदि जैसे अतिरिक्त कौशल वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 में

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।" ;

(ii) अनुसूची में

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएगीं, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में सतर
(4)
स्तर-6
(₹35,400-1, 12,400)";

(ख) स्तंभ (11) के सामने क्र. सं. क(ii) में "वेतन बैंड-1 में 5200-20,200 रु. वेतनमान + ग्रेड वेतन 2800 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तर-5 वेतन मैट्रिक्स में (₹29,200-92,300)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ग) स्तंभ (11) के सामने क्र. सं. क(iii) में "वेतनबैंड-1 5200 – 20,200 रु. वेतनमान + ग्रेड वेतन 2400 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25,500-81, 100)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(घ) स्तंभ (11) में "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/04/2016-प्रशा.IV]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39, तारीख 01 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R. 51.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016, namely;—

1. (1) these rules may be called the National Institution for Transforming India, (Assistant Welfare Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall some into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(i) for rule 2 the following shall be substituted, namely:—

''2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.'';

(ii) In the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

''Level in Pay Matrix
(4)
Level 6
(Rs. 35400 – 1,12,400)'';

(b) in column (11) serial number (a)(ii), for the words and figures ''pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/-'', the words and figures ''Level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the pay matrix'' shall be substituted.

(c) in column (11) against serial number (a) (iii), for the words and figures ''pay band-1, Rs. 52-20200 with grade pay of Rs. 2400/-'', the words and figures ''level -4 (Rs. 25500 – 81 100) in pay matrix'' shall be substituted.

(d) in column (11) ''Note 3'' shall be omitted.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 39, dated the 01 March, 2016.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 में

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।" ;

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 1—दिसम्बर 7, 2019, शनिवार/ अग्रहायण 10—अग्रहायण 16, 1941
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 1— DECEMBER 7, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 10— AGRAHAYANA 16, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.358. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), में सवार हरकारा पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) सवार हरकारा, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. —** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि . —**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता. —** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.सवार हरकारा	03* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1**:– आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2** :– रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यकः 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 2. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों 3. मोटर साइकिल या आटो रिक्शा में दो वर्ष का अनुभव 4. मोटर साइकिल या ओटो रिक्शा का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान से छोटी त्रुटि दूर हटाने के लिए समर्थ होना चाहिए) 5. अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने के लिए योग्यता वांछनीयः गृह रक्षक या सिविल वालंटियर के रूप में तीन वर्ष सेवा **टिप्पण** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या समक्ष प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या समक्ष प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- नीति आयोग के समूह “ग” के नियमित कर्मचारियों में से जिसके ना हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों से ऐसे नियमित सवार हरकारा/ समूह “ग” कर्मचारी जिन्होंने स्तंभ (7) में विहित सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **भूतपूर्व सैनिक** **प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले	**समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1. अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता।

हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं रखते हों और ऐसे व्यक्तियों का उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पणः-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए-12018/06/2016-प्रशा.III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 4th December, 2019

G.S.R. 358.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Despatch Rider, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider.	3* (2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Pass in 10th class from a recognised Board. 2. Possessing a valid driving license for Motor Cycle or Autorickshaw. 3. Two years' experience in driving Motor-cycle or Autorickshaw. 4. Knowledge of Motor Cycle or Autorickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects from the vehicle). 5. Ability to read English and Hindi. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.	Not applicable.	Two years.	Deputation/Absorption failing which by direct recruitment. **For Ex-servicemen:** Deputation/re-employment.

Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Group C employees in the NITI Aayog failing which from regular Despatch Rider/Group C employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column(7). **For Ex-Servicemen:** **Deputation/re-employment:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruits in column(7) shall also be considered, and such persons shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation cases):** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman; 2. Under Secretary (General Administration) – Member; 3. Section Officer (Administration) – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/06/2016-Adm.III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 22—जुलाई 28, 2018, शनिवार/आषाढ़ 31—श्रावण 6, 1940
No. 30] NEW DELHI, JULY 22—JULY 28, 2018, SATURDAY/ASADHA 31— SRAVANA 6, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग, (फोटोस्टेट-सह-उपस्कर पर्यवेक्षक, फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर और सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **<u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि</u> :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **<u>निरर्हता</u> :** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **<u>शिथिल करने की शक्ति</u> :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **<u>व्यावृत्ति</u> :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर	1* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (₹ 19900-63200)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	**(7)**
18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **<u>टिप्पण 1</u> :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **<u>टिप्पण 2</u> :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(1) 12वीं पास (2) फोटोकॉपियर, प्रोजेक्टर, जिल्दसाजी/कटिंग और अन्य कार्यालय उपस्करों की हैंडलिंग और प्रचलन का कार्यसाधक ज्ञान। (3) कार्यालय में विद्युत उपस्करों, साधनों और साज-सामान के सामान्य अनुरक्षण में कुशलता। **<u>टिप्पण</u> :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	**(9)**	**(10)**
आयु – नहीं शैक्षिक अर्हताएं - नहीं, परन्तु प्रोन्नत व्यक्तियों के पास स्तम्भ (7) में मद संख्या (2) और (3) के अनुभव आदि होने चाहिएं।	दो वर्ष (सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए)।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर**,** सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा
(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (₹ 18000-56900) में स्तर-1 समूह 'ग' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति:**- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-- (क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (₹ 18000-56900) में स्तर-1 में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो । **टिप्पण -** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-- **1.** अवर सचिव, (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. तकनीकी अधिकारी (चार्ट, नक़्शे और उपस्कर) / ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/05/2016-प्रशा. III]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 17th July, 2018

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Photostat-cum-Equipment Supervisor, Photostat-cum-Equipment Operator and Assistant Photostat-cum-Equipment Operator) Recruitment Rules, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Photostat-cum-Equipment Operator in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. **Short title and commencement. -**

(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Assistant Photostat-cum-Equipment Operator, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the Pay matrix. -** The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Photostat-cum-Equipment Operator.	1* (2018). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Selection

Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants	(1) 12th pass. (2) Working knowledge	Age - No Educational Qualification - No.	Two years (for direct recruits).

upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government) **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	of handling and operating photocopiers, projectors, binding/cutting and other office equipments. (3) Skill in carrying normal maintenance of office electrical equipments, appliances and fittings. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	But promotees will have to possess the experience, etc. at item no. (2) and (3) in column (7).	

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Officers holding Group 'C' posts in the Level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. **Deputation :** Officers under the Central Government- (a) (i) holding analogous or equivalent posts; or (ii) With 3 years' regular service in the Level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) or equivalent; or (b) possessing the educational qualifications and experience	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation).** 1. Under Secretary (Administration) – Chairman 2. Technical Officer (Charts, Maps and Equipment)/Senior Research Officer – Member 3. Section Officer (Administration) – Member.	Not applicable.

	prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).		

[F.No. A-12018/05/2016-Adm.III]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति**,** संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर**, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I)**, **स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)** भर्ती नियम**,** 2006 को**,** उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए**,** जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है**,** या करने का लोप किया गया है**,** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**,** पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग**,** केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर में, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I),के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात्:--

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :</u> (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग**,** केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर**, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I)**, **स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. <u>पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :</u> पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. <u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि</u> : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. <u>निरर्हता</u> : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2018

सा.का.नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (समूह 'घ' कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) (बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(**ख**) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद	52* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-1 (रु.18,000-56,900)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि हो
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु 18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अथवा	लागू नहीं होता	दो वर्ष

जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पाँगी उप-खण्ड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र		

भर्ती का तरीक़ा, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीक़ों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, किस ग्रेड से पदोन्नत या प्रतिनियुक्त या आमेलित किया जाना है	अगर विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका संघटन क्या है	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	**पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:** निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव (प्रशा.) – अध्यक्ष संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार – सदस्य अवर सचिव/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/04/2016-प्रशा.III]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

टिप्पण : अब से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारिवृंद को बहु-कार्य-कर्मचारिवृंद के रूप में जाना जाएगा।

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 21st March, 2018

G.S.R. 93—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Group 'D' Staff) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog) (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	52* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -1 (Rs. 18000-56900)	Not applicable

Age-limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. **Note 1**: The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation pass or equivalent from a recognised Board or Industrial Training Institute pass Certificate from a recognised institute	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is it's composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Direct Recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation.** Director (Administration)/ Deputy Secretary (Administration) - Chairman Joint Adviser/ Deputy Adviser – Member Under Secretary/ Senior Research Officer - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.III]

GULVEENA BADHAN**,** Under Secy.

Note: The erstwhile Group 'D' staff in National Institute for Transforming India (NITI Aayog) shall henceforth be known as Multi Tasking Staff.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती नियम 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, (समूह 'क' पद हिंदी शाखा) भर्ती नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान .—पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या इससे संबंधित वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियम की अनुसूची में,-

(i) क्रम संख्या 1 में, 'संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)' के पद के सामने,-

(ग) स्तंभ (4) में,

अ. शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर।";

आ. विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14, 144200-218200 रु.।";

(घ) स्तंभ (11) में, -

अ. उपशीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन,-